न्यायालय संभागीय आयुक्त, कोटा सभांग, कोटा

(निर्णय बईजलास श्री कैलाश चन्द मीना आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)
प्रकरण संख्याः 24/2020/अपील/एल0आर0एक्ट/बूंदी
दायरा दिनांक 17.2.2020
किस्म अपीलः धारा 76 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

उनवान

भाष्कर आ0 सत्यनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम नृसिंहपुरा तहसील व जिला बूंदी।

..... अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बून्दी जिला बून्दी

.....रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री घनश्याम नागर अभिभाषक अपीलार्थी
श्री सैफुद्धीन अंसारी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

:: निर्णय ::

दिनांक 18.1.2021

1 अपीलार्थी द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम मे न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी द्वारा प्रकरण संख्या 255/अपील/2018 धारा 75 एलआरएक्ट बउनवान भाष्कर बनाम राज0 सरकार मे पारित निर्णय दिनांक 12.6.2019 के विरूद्ध न्यायालय हाजा मे पेश की गई।

2 अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार से है कि न्यायालय तहसीलदार बूंदी ने मिसल संख्या 900/2018 धारा 22 राज0 उपनिवेशन एक्ट मे अपीलांट द्वारा सं0 2075 मे ग्राम नृसिंहपुरा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह ख0 नं0 26 रकबा 3 बीघा एवं ख0 सं0 27 रकबा 3 बीघा कित्ता दो कुल रकबा 6 बीघा पर अतिक्रमण करने पर अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर दिनांक 28.2.2018 को 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 750/– रूपये तावान से दण्डित किया गया। उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर बूंदी (प्रथम अपीलेट न्यायालय) मे अपील प्रस्तुत की गई जिसे प्रथम अपीलेट न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 12.6.2019 से खारिज किया गया।

3 प्रथम अपीलेट अधिकारी, जिला कलक्टर बूंदी द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 12.6.2019 से व्यथित होकर अपीलार्थी ने न्यायालय हाजा मे द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही तथा साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान किये बिना निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है क्योंकि अपीलांट का वर्तमान मे उक्त आराजी पर कोई कब्जा नही है इस प्रकार अपीलांट पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे नहीं आता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

निर्णय पारित किया है जो न्याय के नैसर्गिक सिद्धातो के विपरीत है। प्रथम अपीलेट अधिकारी ने उक्त तथ्यों पर गौर किये बिना ही जेरअपील निर्णय दिनांक 12.6.2019 से तहसीलदार बूंदी के निर्णय दिनांक 28.2.18 को बहाल रखने मे त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर आदेश हरदो अधीनस्थ न्यायालय निरस्त करते हुये अपीलांट की सजा का आदेश निरस्त किये जाने की इस्तदुआ की गई।

4 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत बहस विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकार सुनी गई।

5 अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस मे अपील मीमों मे कहे गये कथनों को दोहराते हुये कथन किया द्विारा उक्त वर्णित भूमि पर अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी नही रहा है। तहसीलदार बूदी ने मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करने मे त्रुटि की है। अपीलार्थी का उक्त वर्णित आराजी पर वर्तमान मे कोई कब्जा नही है। तावान राशि जमा करा दी है। परीक्षण न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही आदेश पारित किया था इस आधार पर परीक्षण न्यायालय का आदेश काबिल निरस्तनीय था जिस पर गौर किये बिना ही प्रथम अपीलेट अधिकारी द्वारा जेरअपील निर्णय प्रदान करने मे त्रुटि की है। अतः अपीलाधीन हरदो निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बूंदी व जिला कलक्टर बूंदी निरस्त किया जावे।

6 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस मे कथन किया कि तहसीलदार, बूंदी ने अपीलांट को ग्राम नृसिहंपुरा की चारागाह भूमि सं0 2075 मे गैहूँ की फसल बोई जाकर अतिक्रमण किया है। उक्त भूमि पर अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने से तहसीलदार ने 750/– रूपये तावान एंव 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। तह0 बूंदी का निर्णय न्यायोचित है। क्योंकि वादग्रस्त आराजी चारागाह भूमि है जिस पर किसी व्यक्ति को अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नही है तथा उक्त चारागाह भूमि अआवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। अपीलांट बार–बार अतिचारी करने के आदि है जिसकी पुष्टि रिपोर्ट पटवारी हल्का से होती है। पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। प्रथम अपीलेट अधिकारी ने अपील प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपील को जेरअपील निर्णय दिनांक 12.6.2019 से खारिज किया है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है। अपील खारिज की जाने योग्य है।

7 हमने पत्रवली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 राजकीय अभिभाषक पर मनन किया। अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय चारागाह भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ऐसी भूमियां राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। चारागाह भूमियां सार्वजनिक उपयोग की होती है तथा मवेशियों की चराई के लिये है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप मे उचित नही माना गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में यह आलेखित किया है कि उसने उक्त वर्णित भूमि पर से कब्जा छोड दिया है तथा जुर्माना राशि जमा करा दी है। इससे अपीलांट का उक्त वर्णित चारागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख से भी इस तथ्य की पुष्टि होती है कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे भी मौसम खरीफ मे उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर फसल चावल बोई है तथा मौसम रबी मे गैहूं की फसल बोई जाकर अतिक्रमण किया था इससे अपीलांट का पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने की पुष्टि होती है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि उसको तहसीलदार बूंदी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने का नोटिस नही दिया तथा सुनवाई व साक्ष्य का अवसर नही दिया विश्वसनीय नही माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेरअपील निर्णय मे प्रकट अभिमत से हम सहमत है कि "अपीलांट द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किया गया है वह राजकीय चारागाह भूमि है, जिस पर किसी व्यक्ति को कब्जा या अतिक्रमण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता है क्योंकि ऐसी भूमियां राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत आवंटन/नियमन हेतु प्रतिबन्धित है। चारागाह भूमियां सार्वजनिक उपयोग की होती है तथा मवेशियों की चराई के लिये है जिस पर किसी व्यक्ति विशेष का कब्जा किसी भी रूप मे उचित नही माना गया है"। परीक्षण न्यायालय तह0 बूंदी ने अपीलार्थी को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान करते हुये निर्णय पारित किया है जो न्यायोचित है। प्रथम अपीलेट अधिकारी जिला कलक्टर बूंदी ने प्रकरण मे तथ्यों का समुचित परीक्षण कर जेरअपील निर्णय दिनांक 12.6.2019 पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

8 परिणामस्वप, अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बूदी द्वारा मिसल संख्या 255/अपील/2018 मे पारित निर्णय दिनांक 12.6.2019 यथावत रखा जाता है।

9 निर्णय आज दिनांक 18.1..2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षरित न्यायालय की मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

18/1/2021

(कैलाश चन्द मीना)
संभागीय आयुक्त
कोटा

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा